



## \*प्रेस विज्ञप्ति\*

**\*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक जुलाई 27, 2022\***

**\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\***

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 111 वाहनों का चालान किया।

**\*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 55 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**\*पैदल गश्त अभियान-\*** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

**\*आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त पूर्णवासी पुत्र डेहुल नि0 बरगदवां रामसहाय थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 167/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्ता बिन्दा पत्नी स्व0 प्रकाश केवट नि0 रामनगर थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 153/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*थाना सिन्दुरिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त नवी हसन पुत्र अहमद नि0 सोनबरसा थाना चौक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं 99/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र जयराम नि0 मोहनपुर थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 100/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त जयपाल पुत्र गनपत नि0 मोहनापुर थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 101/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त विश्वनाथ गुप्ता पुत्र सिद्धू नि० कोहड़वल थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 60 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 362/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

**\*आर्म्स अधिनियम में की गयी कार्यवाही\***

**\*थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त शिवशंकर साहनी पुत्र राधेश्याम 2. जितेन्द्र साहनी पुत्र राधेश्याम नि०गण उनवछ वार्ड नं० 8 नवल परासी थाना व जनपद नवलपरासी राष्ट्र नेपाल के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु०अ०सं० 364/22 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम मु०अ०सं० 365/22 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

**\*गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त रोहित पुत्र मेघू नि० हनुमानगढ़िया थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/22 धारा 3/4 आर्म्स अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

**\*कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही\*** अभियुक्त मो० हनीफ पुत्र जोखू नि० हनुमानगढ़िया थाना सोनौली के कब्जे से 10 बोरी यूरिया खाद व कपड़े बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/22 धारा 3/11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

**\*थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** 08 बोरी यूरिया खाद बरामद थाना स्थानीय पर अज्ञात के विरुद्ध मु०अ०सं० निल/22 धारा 3/11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

**\*विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 07 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

**\*जनपद में 26/27.07.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 63 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।\***